

RAJ KUMAR MAURYA
Assistant Professor, Political Science
G. J. College, Rambagh, Bitta,
Patna.

B. A. I Year (H.) Paper - II
Political Science

विषय - रुस की प्रातिनिधि सभा (ड्यूमा) / Russia's State Duma

ड्यूमा रुस की संघीय सभा का निम्न सदन या प्रातिनिधि सदन है। चूंकि इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं अतः यह बहुत शक्तिशाली सदन है। ड्यूमा की कुल सदस्य संख्या 450 है। इसके सदस्यों का निर्वाचन दो पड़ावों के अनुसार किया जाता है।

I ⇒ सूची प्रणाली

II ⇒ सामान्य प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली

ड्यूमा के 225 सदस्यों का निर्वाचन सूची प्रणाली से और 225 सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है।

(1)

रूस का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक का हो, वह ड्यूमा के लिए मतदान का अधिकारी

है।

ड्यूमा का चुनाव लड़ने के लिए रूसी नागरिकों का कम से कम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है।

ड्यूमा को पर्याप्त विधायी शक्तियाँ हैं, रूसी विधानमण्डल में कोई भी विधेयक सबसे पहले ड्यूमा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि ड्यूमा द्वारा पारित किसी विधेयक को

संघीय परिषद या राष्ट्रपति अस्वीकृत कर देते हैं

तो इस स्थिति में यदि ड्यूमा अपने कुल सदस्य संख्या के $\frac{2}{3}$ बहुमत से पुनः विधेयक पारित कर देता है

तो यह विधेयक राष्ट्रपति एवं संघीय परिषद की स्वीकृति के बिना भी कानून बन जाएगा। इस

तरह से हम देखें तो कानून निर्माण की दृष्टि से

रूस का सबसे शक्तिशाली सदन ड्यूमा ही है।

कानून निर्माण सम्बन्धी व्यापक शक्तियाँ होने के साथ ही साथ इ्यूमा कार्यपालिका पर पर्याप्त नियन्त्रण रखता है। इ्यूमा के सदस्य Government House में रूसी प्रधानमन्त्री व उसके मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित पदाधिकारियों को देना पड़ता है। रूस में राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री को राष्ट्रपति नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि इ्यूमा राष्ट्रपति द्वारा मनोनित व्यक्ति को अपना अनुमोदन प्रदान करे। इ्यूमा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लगातार तीन बार रूसी राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति को अनुमोदन करने से इनकार कर सकता है।

इ्यूमा के पास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी है, रूसी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह इस अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर यह सदन

लगातार तीन महीने में तीन बार आवेश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को या तो सरकार को बर्खास्त करना पड़ता है या इम्पा को भंग करना पड़ता है।

इम्पा के पास सरकार के द्वारा प्रस्तावित बजट को अस्वीकार करने तथा अपने द्वारा प्रस्तावित बजट को लाने का अधिकार होता है। इम्पा में ही रूस का बजट प्रस्तावित होता है व इम्पा के द्वारा पारित होता है। इम्पा द्वारा ही रूसी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति व पदभारिता किया जाता है।

राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव को लाने और उसे पारित करने का अधिकार इम्पा के पास है। राजनीतिक अपराधियों को माफी देने का अधिकार भी इम्पा के पास है। यदि रूसी राष्ट्रपति अपनी अपातकालीन शक्ति का प्रयोग करता है घुड़ की

घोषणा करता है, तो उसे उसकी सूचना अनिवार्य रूप से इम्भा को देना पड़ता है। इम्भा को रूसी संविधान में संशोधन की शक्ति भी प्राप्त है। इम्भा को रूसी मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदभारिता का अधिकार है। इम्भा के द्वारा रूसी निरीक्षण आयोग में 15 में से 5 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है।